(10)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था./2023 रायपुर, दिनांक / /2023

//कार्यालय-सूचना//

आदेशानुसार, विधान सभा भवन/परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से सचिवालय में आगन्तुकों के प्रवेश हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

01. विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों से भेंट हेतु आने वाले आगंतुकों के प्रवेश हेतु संबंधित अधिकारी द्वारा अनुमति दिये जाने पर ही प्रवेश पत्र कार्यालय से पास जारी किया जावे ।
02. विधान सभा सचिवालय में संलग्न विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य शासकीय संस्थानों/विभागों से शासकीय कार्य से आने वाले आगंतुकों का परिचय पत्र यथा-विभागीय परिचय पत्र/आधार कार्ड/पेन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र आदि अनिवार्य रूप से देखकर ही पास जारी किया जाए ।
03. विधान सभा सचिवालय परिसर में अनेक प्रकार के निर्माण कार्यों की निरंतरता बनी रहती है। निर्माण कार्य से संबंधित अशासकीय व्यक्तियों यथा-ठेकेदार, सुपरवाईजर, मजदूर से परिचय पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के पश्चात ही संपदा शाखा द्वारा प्रवेश पास बनवाने की कार्यवाही की जाये ।
04. अन्य शाखाओं में आने वाले अशासकीय आगन्तुकों के सचिवालय में प्रवेश हेतु संबंधित शाखा द्वारा अनिवार्य रूप से परिचय-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रवेश पास बनवाने की कार्यवाही की जाये ।

आदेश से,

(हस्ताक्षर)

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 1797 /वि.स./स्था./2023 रायपुर, दिनांक 23/02/2023

प्रतिलिपिः-

01. मान.अध्यक्ष, छ.ग. विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. मान.नेता प्रतिपक्ष, छ.ग.विधान सभा के विशेष सहायक को मा.नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. मान.उपाध्यक्ष, छ.ग.विधान सभा के निज सचिव को मा.उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04. सचिव, छ.ग. विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. संचालक (सुरक्षा) छ.ग. विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
06. समस्त शाखा प्रभारी/समस्त अधिकारी/कर्मचारी छ.ग.विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
07. सर्वर कक्ष ।

(हस्ताक्षर) 23/2/23

प्रशासकीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा